मतदान के लिए नामांकन कराने के बारे में आपकी जानने योग्य जरूरी बातें

इन निर्वाचक नामांकन प्रश्नों के उत्तर भीतर

वोट डालने के लिए नामांकन

क्या मैं नामांकन के योग्य हूँ?
क्या मैं नामांकन के अयोग्य हूँ?
मेरा नामांकित होना जरूरी क्यों है?
मैं नामांकन कैसे करवा सकता/सकती हूँ?
मुझे नामांकन फार्म कहाँ से मिल सकता है?
क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?
क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके अपने ब्यौरे को अपडेट (नवीनतम) कर सकता/सकती हूँ?
मेरी आयु **18** साल की होने से पहले क्या मैं नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?
मैं विकलांग हूँ। क्या मुझे नामांकन करवाने में सहायता मिल सकती है?
मेरा परिवार या मित्र विदेश में हैं। क्या मैं उनका नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?
अप्रकाशित सूची क्या होती है?
मेरे नामांकन पत्र को वापिस भेज देने के बाद उसका क्या होता है?
मुझे क्या जानकारी देनी चाहिए?

माओरी नामांकन

माओरी निर्वाचक विकल्प?
मैं न्यूज़ीलैंड माओरी हूँ।मैं इसका चुनाव कैसे करूँ कि मुझे कौन सी सूची में जाना चाहिए?
मैं अगर माओरी होने के नाते पहली बार नामांकन करवा रहा/रही हूँ तो?
माओरी निर्वाचक विकल्प को कितनी बार आयोजित किया जाता है?
मैं पैसीफिक आयलैंड पोलिनेशियन हूँ। क्या मैं माओरी सूची पर जा सकता/सकती हूँ?

निर्वाचक सूचियां

संसदीय निर्वाचक सूची क्या होती है?
मैं निर्वाचक सूची को कहाँ देख सकता/सकती हूँ?
निर्वाचक जानकारी का प्रयोग किसलिए किया जाता है?

अपनी नामांकन जानकारी को नवीनतम रखना

अगर मेरा पता बदल जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
अगर मैं अपना नाम या व्यवसाय बदल लेता/लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?
अगर मैं अपने ब्यौरे को अपडेट करना भूल जाता/जाती हूँ तो क्या होगा?

नामांकन अपडेट अभियान

नामांकन अपडेट अभियान क्या है?
जब नामांकन अपडेट अभियान चल रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए?
अगर मैं अपना नामांकन अपडेट फार्म वापिस नहीं भेजता/भेजती तो क्या होगा?
अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नामांकन अपडेट फार्म मिलता है जो अब इस पते पर निवास नहीं करते तो?
अगर मुझे नामांकन अपडेट फार्म नहीं मिलता तो?

निर्वाचक या चुनाव सीमाएं

मैंने अपनी जगह नहीं बदली है परन्तु मुझे एक अलग निर्वाचक क्षेत्र में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों?

अन्य चुनाव

संसदीय उप-चुनाव क्या होते हैं?

स्थानीय चुनाव क्या होते हैं?

क्या मैं नागरिकों द्वारा आरंभ किए गए जनमत-संग्रह और/या सरकार द्वारा आरंभ किए गए जनमत-संग्रह में वोट डालने का अधिकारी हूँ?

अतिरिक्त जानकारी

मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

क्या यह जानकारी मुझे अन्य भाषाओं में मिल सकती है?

न्यूज़ीलैंड के संसदीय चुनावों में वोट डालने के लिए आपका नामांकित होना जरूरी है।

न्यूज़ीलैंड में कम से कम हर तीन साल में एक बार नई संसद और सरकार का चुनाव करने के लिए आम चुनाव आम चुनाव होत हैं। इसमें जनरल (सामान्य) और माओरी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए हर नामांकित व्यक्ति की एक सूची या लिस्ट होती है। अगर आप **18** साल या उससे अधिक आयु के हैं और नामांकन के योग्य हैं तो कानून का कहना है कि आपका नाम सूची में जरूर होना चाहिए। अगर आपकी आयु **17** साल है तो आप प्रोविज़नल (अस्थायी) रूप से नाम दाखिल करवा सकते हैं। एक बार नामांकन करवा लेने के बाद यह जरूरी है कि आप अपने ब्यौरे को नवीनतम रखें। रजिस्ट्रार्स ऑफ इलेक्टोर्स (निर्वाचक पंजीयक), जो न्यूज़ीलैंड पोस्ट लिमिटिड के लिए काम करते हैं, इस निर्वाचक सूची की देखरेख करते हैं।

भूमिका

वोट डालने के लिए नामांकन कराना

क्या मैं नामांकन के योग्य हूँ?

आप योग्य हैं और कानूनी तौर पर अपना नामांकन अवश्य कराएं यदिः

- आप न्यूज़ीलैंड नागरिक या न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासी हैं, तथा
- आप 18 साल के हैं, या उससे अधिक आयु के हैं, तथा
- आप न्यूज़ीलैंड में किसी समय के दौरान लगातार एक साल से अधिक समय के लिए निवास कर चुके हैं, तथा
- आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जा चुका है।

क्या मुझे नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है?

आप नामांकन नहीं करवा सकते यदिः

- आप एक ऐसे न्यूज़ीलैंड नागरिक हैं जो न्यूज़ीलैंड से बाहर हैं और पिछले तीन साल में न्यूज़ीलैंड नहीं आए हैं।
- आप न्यूज़ीलैंड के एक ऐसे स्थायी निवासी हैं जो पिछले 12 महीनों में न्यूज़ीलैंड नहीं आए हैं।

(नोटः ऊपर दिए गए इन दो नियमों के अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे सरकारी कर्मचारी या डिफेंस फोर्स के सदस्य और उनके साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य जो न्यूज़ीलैंड के बाहर ड्यूटी पर हैं)।

अयोग्यता के कुछ और भी आधार हैं जिनका प्रभाव बहुत ही कम लोगों पर पड़ता है। इस प्रकार के आधारों के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले लोगों के बारे में निर्वाचकों के रजिस्ट्रारों को अधिसूचित किया जाता है। अयोग्यता के अन्य आधारों के बारे में यदि आपको कोई चिन्ता है या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर फोन करें या हमारी वेबसाइट को देखें - www.election.org.nz

मेरा नामांकित होना जरूरी क्यों है?

आप अगर ऐसा करने के योग्य हैं तो आपका नामांकित होना जरूरी है। नामांकित होने से आपको वोट डालने का अवसर मिलता है। मतदान द्वारा आपको यह कहने का अवसर मिलता है कि हर आम चुनाव में न्यूज़ीलैंड की संसद के लिए कौन से लोगों और राजनीतिक पार्टियों का चुनाव किया जाए। आपको स्थानीय काउंसिल और जिला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों तथा अन्य किसी भी जनमत-संग्रह या चुनाव में भी वोट डालने का अवसर मिलता है।

मैं नामांकन कैसे करवा सकता/सकती हूँ?

सिर्फ 'वोट डालने के लिए नामांकन करानाः आवेदन-पत्र' को भरें। भले ही आप वोट न डालना चाहें, तो भी आपके लिए निर्वाचक सूची पर पंजीकरण कराना जरूरी है।

आप यदि न्यूज़ीलैंड माओरी हैं, या न्यूज़ीलैंड माओरी के वंशज या संतान हैं तथा पहली बार नामांकन करवा रहे हैं, तो आप आवेदन का प्रयोग यह कहने के लिए भी कर सकते हैं कि आप कौन सी सूची पर जाना चाहते हैं। आप माओरी या सामान्य सूची के बीच एक का चुनाव कर सकते हैं।

मुझे नामांकन फार्म कहाँ से प्राप्त हो सकता है?

- इस पुस्तिका के पीछे दिए गए कूपन को भर कर पोस्ट कर दें और हम आपको एक फार्म भेज देंगे। नोट - यह कूपन केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं।
- ये किसी भी पोस्टशॉप से निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- हमें 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर मुफ्त फोन करें और हम आपको एक फार्म भेज देंगे।
- अपने नाम और पते को 3676 पर फ्रीटैक्स्ट करें और हम आपको एक फार्म भेज देंगे।
- हमारी वेबसाइट www.elections.org.nz पर आवेदन करें या प्रिंट करें।

फार्म को भरने के बाद उसे किसी भी पोस्टशॉप में जमा करा दें या निम्नलिखित पते पर पोस्ट कर दें (डाक का टिकट लगाना जरूरी नहीं)ः

FREEPOST 2 ENROL

ELECTORAL ENROLMENT CENTRE

P O BOX 190, WELLINGTON 6140

क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?

हाँ, बस हमारी वेबसाइट -www.elections.org.nz पर जाएं और 'Enrol, check or update (एनरोल, चैक या अपडेट)' पर क्लिक करें। अपने नामांकन ब्यौरे को भरने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। उसके बाद आप अपने पहले से भरे हुए ब्यौरे वाले नामांकन फार्म को प्रिंट कर लें, उस पर हस्ताक्षर करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे भेज दें।

विकल्प के रूप में, आप ट्रांज़ेक्शन (व्यवहार या लेन-देन) को प्रस्तुत कर सकते हैं और हम आपको पहले से प्रिंट किया हुआ एक व्यक्तिगत फार्म भेजेंगे ताकि आप उसकी जाँच करके और उस पर हस्ताक्षर करके वापिस भेज दें। आप वेबसाइट पर अपने नामांकन ब्यौरे की ऑनलाइन भी जाँच कर सकते हैं।

.क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके अपने ब्यौरे को अपडेट कर सकता/सकती हूँ?

कोई भी व्यक्ति अपने नामांकन ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट (नवीनतम) कर सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने 'वोट डालने के लिएः आवेदन' फार्म को भर दिया है और निर्वाचकों के रजिस्ट्रार ने उसे स्वीकार कर लिया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वे इस सेवा का चुनाव करना चाहते हैं। आवेदक के ईमेल पते की भी जरूरत होती है।

नामांकन ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए igovt लॉगऑन का प्रयोग किया जा सकता है। इस लॉगऑन ब्यौरे का उपयोग करने से विभिन्न सरकारी ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग करने की भी अनुमति मिलती है - igovt सुरक्षित है और आपकी गोपनीयता को बनाए रखती है।

आपके नामांकन पर एक बार जब कार्रवाई कर ली जाती है तो आपके आवेदनपत्र में दिए गए ईमेल पते पर आपसे सम्पर्क किया जाएगा ताकि आप चुनाव नामांकन ऑनलाइन सेवा के साथ रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) को पूरा कर सकें। इससे या तो आपको एक igovt लॉगऑन सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, या अगर आपके पास हो तो अपने मौजूदा igovt लॉगऑन का उपयोग करना पड़ेगा।

अगर आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपने नामांकन ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने की क्षमता नहीं रखना चाहते, तो यह जरूरी है कि आप निर्वाचक रजिस्ट्रार को अवश्य सूचित करें कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ेक्शन विकल्प से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके नामांकन रिकार्ड के लिए उपलब्ध प्रवेश को तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा।

मेरी आयु 18 साल की होने से पहले क्या मैं नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?

हाँ, जैसे ही आप 17 साल के होते हैं तो आप नामांकन फार्म भर कर 'अस्थायी नामांकन' करवा सकते हैं।आपकी आयु 18 साल होते ही आपको अपने आप ही नामांकित कर दिया जाएगा।

अधिक जानकारी हमारी 'आपके 18 साल के होने से पहले वोट डालने के लिए नामांकन कराना' नामक पुस्तिका से उपलब्ध है। ये किसी भी पोस्टशॉप से या भेजने के लिए 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर फोन करने से उपलब्ध हैं।

मैं विकलांग हूँ। क्या मुझे नामांकन करवाने में सहायता मिल सकती है?

आप यदि शारीरिक रूप से विकलांग हैं और आपको अपने नामांकन फार्म को भरने और उसे वापिस लौटाने के लिए मदद की जरूरत है तो आप निम्नलिखित कर सकते हैंः

- आप अपने फार्म को एक पंजीकृत मतदाता द्वारा भरवा और उस पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। यह जरूरी है कि वे आपके नामांकन फार्म पर अपने हस्ताक्षर के साथ यह अवश्य लिखें 'शारीरिक विकलांग मतदाता - उनके निर्देश के अन्तर्गत किए गए हस्ताक्षर'।

- अथवा, आपके आवेदनपत्र को उस व्यक्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है जिसके पास आपकी पॉवर ऑफ अटर्नी (प्रतिनिधि अधिकार) है। ऐसी स्थिति में वे नामांकन फार्म पर अपने हस्ताक्षर के साथ यह अवश्य लिखें 'शारीरिक विकलांग मतदाता - पॉवर ऑफ अटर्नी '।

आपके परिवार का कोई सदस्य यदि मानसिक रूप से असमर्थ है तो हो सकता है आप उनका नाम दाखिल करा सकें। जानकारी के लिए आप हमें मुफ्त 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर फोन करें।

मेरा परिवार या मित्र विदेश में हैं। क्या मैं उनका नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?

हाँ। हो सकता है कि आप उनके नामांकन फार्म को भर सकें बशर्ते वे अभी भी नामांकन के योग्य हैं। नीचे बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैंः

- आप यदि एक पंजीकृत मतदाता हैं तो आप उनके फार्म को भर कर उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप उनके फार्म पर अपने हस्ताक्षर के साथ यह अवश्य लिखें ' मतदाता विदेश में - उनके निर्देश के अन्तर्गत किए गए हस्ताक्षर'।
- अथवा, आपके पास अगर उनकी पॉवर ऑफ अटर्नी (प्रतिनिधि अधिकार) है तो आप उनके फार्म को भर कर उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप फार्म पर अपने हस्ताक्षर के साथ यह अवश्य लिखें 'मतदाता विदेश में - पॉवर ऑफ अटर्नी '।

अप्रकाशित सूची क्या होती है?

अगर आपको लगता है कि आपके ब्यौरे को मुद्रित सूची में रिकार्ड करने से आपकी निजी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कि आपके विवरण को मुद्रित सूची में न दिखाया जाए। इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा और अपनी निजी परिस्थितियों के बारे में कुछ सबूत पेश करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोटैक्शन ऑर्डर (सुरक्षा आदेश, या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर(निरोधक आदेश), या एक कांस्टेबल द्वारा की गई वैधानिक घोषणा।

अधिक जानकारी और आवेदनपत्र हमारी 'अप्रकाशित मतदाता सूची के बारे में आपके जानने योग्य जरूरी बातें' नामक पुस्तिका में उपलब्ध हैं। ये किसी भी पोस्टशॉप से या भेजने के लिए 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर फोन करने से उपलब्ध हैं।

मेरे नामांकन पत्र को वापिस भेज देने के बाद उसका क्या होता है?

आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जाँच करेंगे कि उसे ठीक से भरा गया है। अगर ऐसा है, तो आपका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची पर चला जाएगा जिसमें आप कम से कम एक महीना पहले निवास कर रहे थे। आपके नामांकन की पुष्टि के लिए हम डाक द्वारा अधिसूचना भेजेंगे।

मुझे क्या जानकारी देनी चाहिए?

कृपया नामांकन पत्र में दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर दें ताकि हम आपको सही रूप से नामांकित कर सकें। केवल तारे के (*) चिन्ह वाली जानकारी को ही मतदाता सूची में प्रकाशित किया जाएगा।

* आपका पूरा नामः

इसकी जरूरत इस बात की जाँच करन के लिए होती है कि आपको सही रूप से नामांकित किया किया गय है, तथा एक ही या एक समान नाम या पारिवारिक नाम वाले लोगों की पहचान की जा सके।

जन्म तिथिः

इससे हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रार को यह स्पष्ट होता है कि आपकी आयु नामांकन के योग्य है और इससे एक ही नाम वाले लोगों को पहचानने में भी हमें मदद मिलती है।

हस्ताक्षर तथा तिथिः

आप अगर न्यूज़ीलैंड माओरी, या न्यूझीलैंड माओरी के वंशज हैं तो आपके लिए माओरी पैनल या सामान्य पैनल में हस्ताक्षर करना और तिथि लिखना जरूरी है। आप दोनों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। यह जरूरी है कि आप इस का चुनाव ध्यान से करें कि आप कौन सी सूची पर जाना चाहते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए जरूरी है कि वे सामान्य पैनल में हस्ताक्षर करें और तिथि लिखें। आप यदि शारीरिक रूप से विकलांग हैं या विदेश में हैं तो आवेदन पर आपकी ओर से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

*** आवासीय पताः**

यह आपके घर का पता होता है। न्यूज़ीलैंड पोस्ट बॉक्स या ग्रामीण डिलीवरी नम्बर आपके पते का विवरण करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। हमें आपके घर के पूरे पते की जरूरत होती है ताकि हम आपको उस निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित कर सकें जिसमें आप निवास करते हैं।

आप उस जगह पर 'निवास' करते हैं जहाँ आप पारिवारिक या व्यक्तिगत रिश्तेदारी या अन्य घरेलू अथवा व्यक्तिगत कारणों से अपना घर बनाने का चुनाव करते हैं। आपके केवल

डाक का पताः

अगर आपका डाक का पता आपके आवासीय पते से अलग हो तो इसकी जरूरत होती है। आपके नामांकन की पुष्टि करने के लिए हमें आपको लिखने की जरूरत होती है। कभी-कभी या अस्थायी रूप से उस जगह से उपस्थित रहने का मतलब यह नहीं कि आप वहाँ निवास नहीं करते। अपनी नौकरी या शिक्षा (या अपने साथी की नौकरी या शिक्षा) के कारण अपने आवास की जगह से अनुपस्थित रहने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहां निवास करते हैं इसका निर्धारण करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आप कहाँ अपना घर बनाने का चुनाव करते हैं।

***व्यवसायः**

इससे हमें उन लोगों को पहचानने में मदद मिलती है जिनका एक ही नाम होता है। ये अक्सर मुद्रित सूची में छोटे रूप में दिखाई देते हैं।

भविष्य में ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करेंः

आप अगर भविष्य में बिना फार्म भरे अपने ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करना चाहते हैं, तो 'हाँ' गोलाकार पर निशान लगाएं और इस फार्म के पीछे सैक्शन डी में अपना ईमेल पता दें।

क्या आप माओरी हैं?

केवल न्यूज़ीलैंड माओरी, या न्यूज़ीलैंड माओरी वंशज ही 'हाँ' वाले गोलाकार पर सही का निशान लगा कर उत्तर दे सकते हैं। बाकी सभी लोगों को 'नहीं' वाले गोलाकार पर सही का निशान लगाना होगा।

टेलिफोन नम्बरः

हमें आपसे सम्पर्क करने की जरूरत पड़ने पर इनकी जरूरत होगी ।

स्कैच मैप (खाके का नक्शा)ः

आप अगर बिना नम्बर वाले पते पर रहते हैं, तो आपके सही निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए एक ऐसे खाके के नक्शे की जरूरत होगी जिसमें आपके निवास की जगह को दिखाया गया है।

हाल ही में क्या आपने अपना पता बदला है?

आप अगर अपने वर्तमान आवास के पते पर एक महीने से कम समय के लिए रह रहे हैं, तो कृपया इन पैनलों को पूरा करें।

न्यूज़ीलैंड वासी विदेश मेंः

आप इन पैनलों को केवल तभी भरें जबकि आप विदेश में हैं। कृपया लिखें कि आपने न्यूज़ीलैंड में पहले कब निवास किया था, आप विदेश कब चले गए थे और न्यूज़ीलैंड छोड़ने के कम से कम एक महीना पहले आपने जिस पिछले पते पर निवास किया था।

माओरी नामांकन

माओरी नामांकन विकल्प?

आप अगर न्यूज़ीलैंड माओरी, या न्यूज़ीलैंड माओरी के वंशज हैं, तो आप माओरी या सामान्य सूची पर जाने का चुनाव कर सकते हैं।

मैं न्यूज़ीलैंड माओरी हूँ। मैं इसका चुनाव कैसे करूँ कि मुझे कौन सी सूची में जाना चाहिए?

आमतौर पर हर पाँच साल बाद, मतदाता सूची के हर उस व्यक्ति को एक माओरी मतदाता विकल्प फार्म भेजा जाता है जिन्होंने यह कहा है कि वे न्यूज़ीलैंड माओरी वंशज हैं। इस फार्म का प्रयोग यह चुनाव करने के लिए किया जाता है कि आप माओरी मतदाता सूची पर जाना चाहते हैं या सामान्य सूची पर। इसे माओरी निर्वाचक विकल्प अभ्यास कहा जाता है।

मैं अगर माओरी होने के नाते पहली बार नामांकन करवा रहा/रही हूँ तो?

आप यदि न्यूज़ीलैंड माओरी हैं तो आप नामांकन फार्म के उपयुक्त पैनल पर हस्ताक्षर करने से यह चुनाव कर कर सकते हैं कि आप कौन सी सूची पर जाना चाहते हैं। एक बार जब आप अपनी पसंद तय कर लेते हैं तो आप अगले माओरी मतदाता विकल्प के समय तक उसे बदल नहीं सकते।

माओरी मतदाता विकल्प को कितनी बार आयोजित किया जाता है?

आमतौर पर हर पाँच साल में एक बार जनसंख्या और आवास जनगणना के बाद चार-महीने की अवधि के दौरान माओरी मतदाता विकल्प का आयोजन किया जाता है और इससे माओरी मतदाताओं को जिस सूची पर वे नामांकित हैं उस पर पुनर्विचार करने और सूची के प्रकार को बदलने का अवसर मिलता है।

मैं पैसीफिक आयलैंड पोलिनेशियन हूँ। क्या मैं माओरी सूची पर जा सकता/सकती हूँ?

नहीं। यह केवल न्यूज़ीलैंड माओरी और न्यूज़ीलैंड माओरी वंशजों के लिए है। नामांकन के योग्य कुक आयलैंड माओरी तथा अन्य पैसीफिक आयलैंड के लोग सामान्य सूची पर जाते हैं।

अधिक जानकारी हमारी 'न्यूज़ीलैंड माओरी के नाते वोट डालने के लिए नामांकन' नामक पुस्तिका में उपलब्ध है।

निर्वाचक सूचियां

संसदीय निर्वाचक सूची क्या होती है?

रोल या सूची एक पुस्तक होती है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित किए गए हर व्यक्ति की सूची होती है। इसमें उनके नाम, आवासीय पते और व्यवसाय दिए जाते हैं। किसी को भी इसे देखने का अधिकार होता है। संसदीय चुनाव वाले सालों के अलावा हर साल एक नई पुस्तक प्रकाशित की जाती है। उन सालों में दो मुद्रित होती हैंः पहली हर एक के लिए होती है यह जाँच करने के लिए कि वे सही रूप से सूचीबद्ध हैं, दूसरी का प्रयोग चुनाव वाले दिन किया जाता है।

मैं निर्वाचक सूची को कहाँ देख सकता/सकती हूँ?

प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रार का आफिस तथा पब्लिक लायब्रेरी के पास न्यूज़ीलैंड की सारी सूचियां होती हैं। साथ ही, प्रत्येक पोस्टशॉप के पास उनके इलाके की सामान्य तथा माओरी सूचियों की प्रतियां उपलब्ध होती हैं। अनकों बड़ी पोस्टशॉपों के पास आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों की भी सूचियां होती हैं।

विकल्प के रूप में, आप अपने नामांकन ब्यौरे की जाँच हमारी वेबसाइट - www.elections.org.nz पर कर सकते हैं।

निर्वाचक जानकारी का प्रयोग किसलिए किया जाता है?

आप जब नामांकन कराते हैं, तो केवल आपका नाम, आवासीय पता तथा व्यवसाय ही आपके निर्वाचन क्षेत्र की मुद्रित सूची में दिखाई देंगे। यह दस्तावेज जनता के किसी भी व्यक्ति द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध होता है। आपके आयु वर्ग, डाक के पते या माओरी वंशज तथ्य (यदि लागू हो तो) सहित इस जानकारी को वैज्ञानिक या स्वास्थ्य शोधकर्ताओं, उम्मीदवारों, संसद सदस्यों या राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है। यह जानकारी स्थानीय काउंसिलों को उनके तथा जिला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों, जनमत-संग्रहों और निर्वाचक सूचियों के लिए भी प्रदान की जाती है। ज्यूरी सूचियों को भी निर्वाचक जानकारी का प्रयोग करके तैयार किया जाता है।

अपनी नामांकन जानकारी को नवीनतम रखना

अगर मैं अपना पता बदल लेता/लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

अपना निवास बदलने से पहले, न्यूज़ीलैंड पोस्ट के 'मेल रि-डायरेक्शन रिक्वेस्ट (डाक पुनः-दिशा अनुरोध)' फार्म को किसी भी पोस्टशॉप में जाकर भरें। आपकी डाक को आपके नए पते पर वितरित किया जाएगा, साथ ही आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार को भी आपके द्वारा बदली कर लेने के बारे में सूचित किया जाएगा।

अगर आपका नया पता अभी भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में है तो आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार केवल आपके नामांकन को अपडेट कर देंगे और आपको पुष्टि का एक नया नोटिस भेज देंगे।

लेकिन, आपने अगर नए निर्वाचन क्षेत्र में बदली कर ली है, तो आपको एक प्रि-प्रिन्टिड (पूर्व-मुद्रित) व्यक्तिगत नामांकन फार्म जाँच के बाद हस्ताक्षर करके वापिस करने के लिए भेजा जाएगा। आपका हस्ताक्षर किया हुआ फार्म मिलने के बाद आपके नए निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रार आपका नामांकन कर लेंगे तथा आपको पुष्टि का एक नोटिस भेजेंगे।

अगर आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार को आपका नाम किसी भी नामांकन सूची में नहीं मिलता, तो वे आपके नए पते पर एक नया नामांकन फार्म भेज देंगे।

विकल्प के रूप में, आप एक नया नामांकन फार्म भर सकते हैं या हमारी वेबसाइट - www.elections.org.nz पर जाएं और अपने पते को ऑनलाइन अपडेट करें।

अगर मैं अपना नाम या व्यवसाय बदल लेता/लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप अगर अपना नाम या व्यवसाय बदल लेते हैं तो इस परिवर्तन के बारे में जल्द से जल्द अपने निर्वाचक रजिस्ट्रार को लिखित रूप में सूचित करें। विकल्प के रूप में, आप एक नया नामांकन फार्म भर सकते हैं या अपने ब्यौरे को हमारी वेबसाइट - www.elections.org.nz पर अपडेट कर सकते हैं।

अगर मैं अपने ब्यौरे को बदलना भूल जाता/जाती हूँ तो क्या होगा?

आप अगर अपने ब्यौरे को अपडेट करना भूल जाते हैं तो हो सकता है कि हम नामांकन अपडेट अभियान के दौरान आपसे सम्पर्क न कर पाएं और आपके नाम को सूची में से हटा दिया जाएगा। आपको फिर से नामांकन कराना पड़ेगा।

नामांकन अपडेट अभियान

नामांकन अपडेट अभियान क्या है?

हर साल हजारों न्यूज़ीलैंड वासी अपने जीवन में बदलाव करते हैं। वे मकान बदलते हैं, विवाह कर लेते हैं, अपने व्यवसाय को बदल लेते हैं। अनेकों विदेश से वापिस आ जाते हैं। कभी-कभी वे इन परिवर्तनों के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रार को सूचित नहीं करते।

इसलिए हम नियमित अंतराल से नामांकन अपडेट अभियान आयोजित करते हैं। हर किसी के लिए जाँच करना और अपडेट करना जरूरी होता है। अगर जरूरत हो, तो निर्वाचक रजिस्ट्रार उनके ब्यौरे में आए परिवर्तन को नई निर्वाचक सूची में शामिल कर देते हैं।

जब नामांकन अपडेट अभियान चल रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए?

अपने नामांकन ब्यौरे की जाँच करें और अगर जरूरी हो तो उसमें सुधार करें। निर्वाचक रजिस्ट्रार पुरानी सूची के हर व्यक्ति को एक फार्म भेज कर इसे आसान बना देते हैं। आपके नामांकन अपडेट फार्म में आपके व्यक्तिगत ब्यौरे को जैसा रिकार्ड किया गया है वैसा ही दिखाया जाएगा। इसमें आपको सुधार करने के लिए जगह दी गई है। उसके बाद हस्ताक्षर करें, फार्म पर तिथि डालें और उसे दिए गए रिप्लाई लिफाफे में पोस्ट कर दें। अगर आपका ब्यौरा सही है तो आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है और आपके नामांकन अपडेट फार्म में दिखाए गए ब्यौरे सहित आप नामांकित बने रहेंगे।

अगर मैं अपना नामांकन अपडेट फार्म वापिस नहीं भेजता/भेजती तो क्या होगा?

नामांकन अपडेट फार्म में दिखाए गए ब्यौरे सहित आप सूची पर बने रहेंगे।

अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नामांकन अपडेट फार्म मिलता है जो अब इस पते पर निवास नहीं करते तो?

आप इसे उनके नए पते पर आगे भेज दें, या अगर वह ज्ञात न हो तो लिफाफे पर लिख दें ' गॉन नो एड्रेस (चले गए कोई पता नहीं है)' और वापिस पोस्ट में भेज दें। उसे निर्वाचक रजिस्ट्रार को वापिस कर दिया जाएगा जो उस व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची से हटा देंगे।

अगर मुझे नामांकन अपडेट फार्म नहीं मिलता तो?

आप एक नए नामांकन फार्म को अवश्य भर दें। एक बार जब आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार को आपका भरा हुआ नामांकन फार्म मिल जाता है तो आपका नाम मतदाता सूची पर दिखाई देगा।

निर्वाचक या चुनाव सीमाएं

मैंने अपनी जगह नहीं बदली है परन्तु मुझे एक अलग निर्वाचन क्षेत्र में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों?

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मोटे तौर पर समान संख्या में ही लोग होने जरूरी हैं। परन्तु कुछ इलाके बढ़ जाते हैं जबकि कुछ सिकुड़ जाते हैं और कभी-कभी सीमाओं को एडजस्ट (समायोजन) करने की जरूरत होती है।

आमतौर पर, हर पाँच साल बाद, जनसंख्या और निवास जनगणना के बाद, सारे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर विचार किया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र की आबादी में एक बड़ी संख्या में बदलाव आ जाता है तो निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की संख्या को लगभग समान रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलना जरूरी हो जाता है। इन नई सीमाओं का प्रयोग फिर अगले चुनाव के लिए किया जाता है।

अन्य चुनाव

संसदीय उप-चुनाव क्या होता है?

कभी-कभी संसद में आम चुनावों के बीच निर्वाचन क्षेत्र की सीट खाली हो जाती है। ऐसे में उस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संसद में एक नए सदस्य के लिए वोट डालने का अवसर मिलता है। इसे उप-चुनाव कहा जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नवीनतम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।

स्थानीय चुनाव क्या होते हैं?

आप जब एक संसदीय निर्वाचक के रूप में नामांकन करवाते हैं तो आप अपने आप ही अपनी स्थानीय काउंसिल की सूची के लिए भी नामांकित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपनी स्थानीय काउंसिल और जिला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों में भी वोट डाल सकते हैं। इसमें अपने नगर या जिले के लिए मेयर और अपनी रीजनल काउंसिल (जिला परिषद), नगर या जिला परिषद, कम्युनिटी बोर्ड, जिला स्वास्थ्य बोर्ड और लायसेंसिग ट्रस्टों जैसे कुछ अन्य निकायों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों का चुनाव करना शामिल होते हैं।

क्या मैं नागरिकों द्वारा आरंभ किए गए जनमत-संग्रह और/या सरकार द्वारा आरंभ किए गए जनमत-संग्रह में वोट डालने का अधिकारी हूँ?

एक बार जब संसदीय निर्वाचक के रूप में आपका नामांकन हो जाता है तो आप अपने आप ही नागरिक और/या सरकार द्वारा आरंभ किए गए जनमत-संग्रह में वोट डालने के लिए नामांकित हो जाते हैं।

अधिक जानकारी

मुझे अधिक जानकारी कैसे मिल सकती है?

वोट डालने के लिए नामांकन कराने के बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैः

- हमारी वेबसाइट www.elections.org.nz पर जाने से
- 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर मुफ्त फोन करने से
- निम्नलिखित पुस्तिकाओं को पढ़ने से

- अप्रकाशित मतदाता सूची के बारे में आपके जानने योग्य जरूरी बातें*
- आपके 18 साल के होने से पहले वोट डालने के लिए नामांकन कराना*
- न्यूज़ीलैंड माओरी के रूप में वोट डालने के लिए नामांकन कराना* (यह पुस्तिका केवल अंग्रेजी और माओरी में उपलब्ध है।)

* पोस्टशॉप या निर्वाचक रजिस्ट्रारों के आफिसों से उपलब्ध।

इस पुस्तिका को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।

हम आशा करते हैं कि इसने मतदान के लिए नामांकन कराने के बारे में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

आपको यदि और किसी सहायता की जरूरत हो तो बस हमारी www.elections.org.न्ठ **वेबसाइट पर जाएं या हमें** 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) **नम्बर पर मुफ्त फोन करें।**

क्या यह जानकारी मुझे अन्य भाषाओं में मिल सकती है?

हमारी वेबसाइट पर यह पुस्तिका कई भाषाओं में उपलब्ध है।

Electoral Enrolment Centre
New Zealand Post Limited
P O Box 190
Wellington 6140

फोनः 0800 ENROL NOW
(0800 36 76 56)

फैक्सः (04) 801 0709

ईमेलः enrol@elections.org.nz